



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 40/2026

राधेश्याम राव

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ एवं 6 अन्य ... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – शिवम मेहरोत्रा, रमा कान्त दीक्षित

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. वाद सुना गया।

2. दिनांक 21.01.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"1. अभिलेख के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि विचाराधीन सड़क को वर्ष 2025-26 के

दौरान स्वीकृत योजना में सम्मिलित किया गया है।

2. प्रतिवादियों के वकील ने यह बताने के लिए समय मांगा है कि मार्च 2026 से पूर्व प्रतिवादियों द्वारा विचाराधीन सड़क का पुनर्निर्माण कब तक प्रस्तावित है।

3. अगली तिथि से पूर्व आवश्यक कार्रवाई की जाए।

4. दिनांक 02.02.2026 को नए सिरे से सूचीबद्ध किया जाए।"

3. आज, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने कहा कि मात्र वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है और उसके बाद सड़क का निर्माण किया जाएगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. सड़क का निर्माण वित्तीय वर्ष 2026 के अंत तक किया जाना चाहिए, जिसके लिए इसे राज्य सड़क निधि योजना के तहत कार्य योजना में शामिल किया गया है।
5. उपरोक्त टिप्पणी/निर्देश के साथ, याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।
6. सभी विरोधी पक्षकार इस आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

2 फरवरी, 2026

प्रवीण

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)